भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 576

जिसका उत्तर 04.02.2026 को दिया जाना है

सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए गोल्डन-आवर में कैशलेस उपचार योजना

576. श्री मेदा रघुनाधा रेड्डी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए गोल्डन-आवर में कैशलेस उपचार योजना की वर्तमान स्थिति क्या है, साथ ही इसके दायरे और प्रचालनगत रूपरेखा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रायोगिक चरण में अब तक किन-किन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है और बचाए गए लोगो और निस्तारित दावो के संदर्भ में प्राप्त परिणाम क्या है;

(ग) क्या इस योजना में आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है या शामिल करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है; और

(ङ) गोल्डन-आवर में कैशलेस उपचार योजना को राष्ट्रव्यापी स्तर पर लागू करने के लिए सरकार द्वारा क्या समयसीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ङ) मोटर यान (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा अन्तःस्थापित मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162, केंद्र सरकार को गोल्डन आवर के दौरान दुर्घटना के पीड़ितों के नकदी रहित (कैशलेस) उपचार के लिए एक योजना तैयार करने के लिए अधिदेशित करती है। तदनुसार, सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए नकदी रहित उपचार योजना, 2025 (योजना) को का.आ. 2015(अ), दिनांक 05.05.2025 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है। इसके अलावा, इसके कार्यान्वयन के लिए प्रक्रिया प्रवाह, विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं और उत्तरदायित्वों का विवरण देने वाले व्यापक दिशानिर्देश, और मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) का.आ. 2489 (अ), दिनांक 04.06.2025 के माध्यम से जारी की गई हैं।

इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(i) प्रति पीड़ित 1.5 लाख रुपये तक का उपचार कवर प्रदान किया जाएगा, जो दुर्घटना की तारीख से अधिकतम 7 दिनों की सीमा के अधीन होगा। यह उपचार कवर उन पीड़ितों के लिए उपलब्ध होगा, जिनकी किसी भी श्रेणी की सड़क पर मोटर वाहनों के उपयोग के कारण सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं।

(ii) प्रत्येक मोटर वाहन सड़क दुर्घटना पीड़ित, जहाँ जान गंवाने का जोखिम ना हो ऐसे मामलों में, 24 घंटे तक और जीवन के जोखिम वाले मामलों में 48 घंटे तक निर्दिष्ट अस्पतालों में पुलिस कार्रवाई के अधीन स्थिरीकरण उपचार प्रदान किया जाएगा।

(iii) इस वैधानिक योजना की किसी अन्य केंद्र/राज्य स्तरीय योजनाओं की तुलना में वरीयता होगी।

(iv) राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा विकसित नवीनतम स्वास्थ्य लाभ पैकेज के आधार पर उपचार किया जाएगा।

(v) यह योजना उन मामलों के लिए सामान्य बीमा कंपनियों के अंशदान के साथ संयुक्त रूप से वित्त पोषित है जहां उल्लंघन करने वाले मोटर वाहन का बीमा किया गया है और उन मामलों के लिए बजटीय सहायता जो बिना बीमा वाले मोटर वाहनों या हिट एंड रन मोटर दुर्घटनाओं से जुड़े हैं।

(vi) मोटर यान दुर्घटना निधि से उपचार करने के लिए अस्पतालों द्वारा प्रस्तुत किए गए दावों की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(vii) यह योजना दो मौजूदा प्लेटफार्मों अर्थात् पुलिस अधिकारियों द्वारा दुर्घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए उपयोग की जाने वाली ईडीएआर (इलेक्ट्रॉनिक विस्तृत दुर्घटना रिपोर्ट) और अस्पतालों द्वारा उपचार, दावा प्रस्तुत करने और भुगतान प्रक्रिया के लिए उपयोग की जाने वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) की टीएमएस 2.0 (लेनदेन प्रबंधन प्रणाली) के एकीकरण के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है।

इसके अलावा, दुर्घटना की रिपोर्टिंग के समय से लेकर पीड़ित के भर्ती होने, उपचार, पुलिस प्रमाणीकरण, दावा संसाधन और अंतिम भुगतान तक योजना के लिए एक पूर्ण डिजिटल ट्रेल 112 आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (ईआरएसएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से मौजूद रहेगा।

यह योजना मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 162 के कानूनी अधिदेश के तहत तैयार की गई है और इसलिए यह अखिल भारतीय प्रयोज्यता रखती है।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की जमीनी स्तर पर तत्परता विकसित करने और इसके राष्ट्रीय कार्यान्वयन से पहले संभावित कार्यान्वयन चुनौतियों का आकलन करने के लिए, 6 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, अर्थात् चंडीगढ़, असम, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पुडुचेरी में आरंभिक (पायलट) कार्यक्रम चलाया गया था। आरंभिक कार्यान्वयन के दौरान कुल 6,833 उपचार अनुरोधों में से 5,480 पीड़ितों को योजना के प्रावधानों के अनुसार पात्र पाया गया और उन्हें नकदी रहित उपचार प्राप्त हुआ। मोटर यान दुर्घटना निधि के तहत आवंटित कुल राशि 73,88,848/- रुपये है।

*****